रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236050
CG-DL-E-27052022-236050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
No. 2300] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

(आय-कर)

का.आ. 2426(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 274 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2क) के अधीन बनाए गई पहचानविहिन शास्ति (पहला संशोधन) स्कीम, 2022 को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 144ख में किए गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना जो संख्यांक का.आ. 118(अ), तारीख 12 जनवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 1 में,-

(अ) उप-पैरा (अ) के खंड (1) में,-

(I) उपखंड (ii) में "किसी क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र की निर्दिष्ट शास्ति इकाई को ऐसा मामला" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (xv) से खंड (xxii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(xv) शास्ति इकाई अभिलेख की सामग्री पर जिसके अंतर्गत खंड (viii), खंड (x) और खंड (xii) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रत्युत्तर, यदि कोई हो या खंड (xiv) में यथा-निर्दिष्ट रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्,-

(क) शास्ति को आरोपित करने और ऐसी शास्ति के अधिरोपण के लिए शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव तैयार करने का ; या

(ख) शास्ति अधिरोपित नहीं करने का, ऐसे कारण जो अभिलिखित किए जाएं, प्रस्तुत करेगी ;

और यथास्थिति शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव या कारणों को राष्ट्रीय पहचानविहिन केन्द्र को भेजेगी ;

(xvi) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार,-

(क) उस दशा में जहां शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है, खंड (xv) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव के अनुसार शास्ति आदेश पारित करने के लिए शास्ति इकाई को हस्ताणांतरित की जा सकेगी ; या

(ख) उस दशा में जहां शास्ति अधिरोपित नहीं करने का प्रस्ताव किया जाता है, यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर सूचना के अधीन शास्ति प्रक्रिया समाप्त करने के लिए शास्ति इकाई को हस्ताणांतरित की जा सकेगी ; या

(ग) यथास्थिति ऐसे प्रस्ताव या कारणों का पुनर्विलोकन संचालित करने के लिए किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से शास्ति पुनर्विलोकन इकाई को मामला समनुदेशित कर सकेगी ।

(xvii) शास्ति इकाई खंड (xvi) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट दशा में शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित कर सकेगी और राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती को उसे तामील कर सकेगी ;

(xviii) शास्ति इकाई खंड (xvi) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में शास्ति प्रक्रिया समाप्त कर सकेगी और राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती को सूचना भेज सकेगी ;

(xix) शास्ति पुनर्विलोकन इकाई खंड (xvi) के उपखंड (ग) में यथा-निर्दिष्ट शास्ति को अधिरोपित न करने के लिए शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव या कारणों का पुनर्विलोकन करेगी, इसके पश्चात् वह यथास्थिति ऐसे प्रस्ताव या कारणों से सहमत हो सकेगी या उपांतरण का सुझाव दे सकेगी और पुनर्विलोकन की एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगी तथा उसकी सूचना राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को दे सकेगी ;

(xx) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र खंड (xix) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्राप्त करने पर उसे शास्ति इकाई को अग्रेषित करेगा, जो कि यथास्थिति शास्ति को अधिरोपित न करने के लिए शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव या कारणों के लिए प्रस्तावित की गई थी ;

(xxi) शास्ति इकाई पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उसमें प्रस्तावित कुछ को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी या सभी को उपांतरित कर सकेगी और ऐसी उपांतरणों को अस्वीकार करने की दशा में कारणों अभिलिखित करने के पश्चात् यथास्थिति शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित कर सकेगी या शास्ति प्रक्रिया को समाप्त कर सकेगी तथा राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती पर यथास्थिति शास्ति आधिरोपित करने के आदेश की तामील कर सकेगी या शास्ति प्रक्रिया को समाप्त करने की सूचना दे सकेगी ;

(xxii) जहां, यथास्थिति, शास्ति को अधिरोपित वाला आदेश या शास्ति में छूट देने की सूचना, पारित कर दिया गया है या दे दी गई है, वहां शास्ति इकाई राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से, अधिनियम के अधीन ऐसी अगली कार्रवाई के लिए जिसकी इस अधिनियम में अपेक्षा की जाए, खंड (i) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को ऐसे आदेश की प्रति या शास्ति में छूट देने से संबंधी सूचना भेजेगा ।";

(ख) उप-पैरा (आ) में,-

(I) खंड (1) में "या क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(II) खंड (3) और खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, वहां सुसंगत इकाई का आय-कर प्राधिकारी राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई अनुज्ञात करेगा ।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट सुनवाई बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक तकनीकी रूप से साध्य हो, अनन्य रूप से वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी संसूचना उपयोजन साफ्टवेयर जो वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी को स्पोर्ट करता है, का उपयोग भी है ।";

(iii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. उक्त अधिनियम की धारा 140 और धारा 282क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और संशोधनों के अध्याधीन उक्त स्कीम के अनुसार शास्ति कार्रवाईयों पर लागू होंगे, अर्थात् :-

"एक इलैक्ट्रानिक अभिलेख,-

(i) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र इलैक्ट्रानिक संसूचना के द्वारा;

(ii) यथास्थिति शास्ति इकाई या शास्ति पुनर्विलोकन इकाई या तकनीकी इकाई या सत्यापन इकाई का अंकीय हस्ताक्षर द्वारा ;

(ii) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति उनके अंकीय हस्ताक्षर द्वारा या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के अधीन या डिजीटल पोर्टल में उसके रजिस्ट्रीकृत अकांउट में लोगीन द्वारा,

अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :- इस पैरा के प्रयोजन के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट" का वही अर्थ होगा, जो उसका आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (3) के स्पष्टीकरण में है ।";

(iv) पैरा 3 का लोप किया जाएगा ;

(v) पैरा 4 में उप-पैरा (ख) में,-

(क) "क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 55/2022/फा. सं. 370142/51/2020-टीपीएल(भाग 3)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल स्कीम संख्यांक का.आ. 118(अ), तारीख 12 जनवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।